



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-319/2022

दिनांक- 25-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 23.9.2022 को आपराधिक इतिहास व आम शोहरत के आधार पर पूर्व के भेजे गये गैंग चार्ट के जिलाधिकारी आजमगढ़ के अनुमोदन के पश्चात् थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम-1. अबूजर उर्फ पप्पू पुत्र हसनैन उर्फ बुध्दू आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था जिसकी प्रारम्भिक विवेचना नि0अ0 श्री संजय कुमार सिंह थाना फूलपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 25.09.2022 को नि0अ0 श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अबूजर उर्फ पप्पू पुत्र हसनैन उर्फ बुध्दू साकिन पुरानाजिर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. जोरार अहमद पुत्र फिरोज अहमद साकिन पुरानाजिर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को जगदीशपुर पुलिस के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0 311/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अबूजर उर्फ पप्पू

1. मु0अ0सं0-134/2022 धारा 307/34 भादवि 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-135/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 311/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जोरार अहमद

1. मु0अ0सं0-134/2022 धारा 307/34 भादवि 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-136/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 311/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त ---

1. अबूजर उर्फ पप्पू पुत्र हसनैन उर्फ बुध्दू साकिन पुरानाजिर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. जोरार अहमद पुत्र फिरोज अहमद साकिन पुरानाजिर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. नि0अ0 श्री संजय कुमार सिंह हे0का0 संजय सिंह यादव का0 शिवराम सरोज का0 सुमित सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना- फूलपुर

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 16.9.2022 को थाना फूलपुर क्षेत्र की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत की महिला के बहन की पुत्री उम्र 15 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 302/2022 धारा 363/366 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री असोक कुमार मौर्या द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना तमामी साक्ष्य संकलन से उक्त अभियोग में अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राम नरेश साकिन पूरा चिट्टू थाना अहरौला आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक-25.09.2022 को उ0नि0 श्री असोक कुमार मौर्या मय हमराह द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित पीडिता/ अपहृता को फूलपुर बस अड्डे से कुशलता पूर्वक बरामद किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। तत्पश्चात् उक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राम नरेश साकिन पूरा चिट्टू थाना अहरौला आजमगढ़ को जगदीशपुर तिराहे से समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा वाद पूछताछ नियमानुसार चालान माननीय न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0 302/22 धारा 363/366/376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -- विवेक कुमार पुत्र राम नरेश साकिन चित्तपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री असोक कुमार मौर्या मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना पवई

गोवध अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.09.22 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 199/2020 धारा मु0अ0सं0199/20 धारा 307,120 बी भादवि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अकील अहमद पुत्र फजलूरहमान निवासी गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.30 बजे गोधना बाजार से हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0199/20 धारा 307,120 बी भादवि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्म्स थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0199/20 धारा 307,120 बी भादवि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्म्स थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 220/17 धारा 147/148/149/506 भादवि व 3(2)क सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 124/17 धारा 147/148/149/307/308/323/452/504/506 भादवि व 7 अपराधिक कानून अधि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:— अकील अहमद पुत्र फजलूरहमान निवासी गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह का0 सुजीत कुमार का0 राकेश कुमार गौंड थाना पवई, आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.9.2022 को नि0 महेन्द्र कुमार मय हमराह कर्म0गण मय द्वारा मु0 अ0 सं0 - 587 / 2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सरफराज उर्फ गुड्डू पुत्र निशार उर्फ जैजू निवासी कसाई टोला कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा जीयनपुर मुबारकपुर तिराहे के पास से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 सं0 587/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 06/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

मु0 अ0 सं0 587/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - कामरान पुत्र शमशाद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. नि0 महेन्द्र कुमार मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

आत्महत्या के दुष्प्रेरण के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

श्रीमती दुईजी देवी पत्नी प्रेमलाल निवासी अबाडी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ अर्न्तगत 156(3) CrPC के तहत प्राप्त होकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2022 धारा 498ए,306 भादवि विरूद्ध 1. रामजतन (पति) पुत्र जगदीश 2. जगदीश (ससुर) पुत्र अज्ञात 3. मुराही (सास) पत्नी जगदीश 4. राजेश (जेठ) पुत्र जगदीश 5. सुनीता (जेठानी) पत्नी राजेश 6. लालजी (देवर) पुत्र जगदीश 7. अनीता (देवरानी) पत्नी लालजी निवासीगण अतरडीहा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ होकर विवेचना की जा रही है कि विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक-25.09.2022 को अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त . सुनीता देवी पत्नी राजेश निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2. लालजीव कुमार पुत्र जगदीश निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम अतरडिहा से समय 12.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः- 1. सुनीता देवी पत्नी राजेश निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2. लालजीव कुमार पुत्र जगदीश निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 28/2022 धारा 498ए,306 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, का0 बिक्की कुमार, का0 प्रदीपचन्द, म0का0 सुमन यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

मारपीट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.08.2022 को वादी चन्दन पुत्र स्व0 अवधू राम ग्रा0 दौलताबाद थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि 1-लालचन्द्र पुत्र मंगल आदि 05 नफर द्वारा गाली-गलौज, मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 336/2022 धारा 323/504/308/506/34 IPC पंजीकृत होकर पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 313,325 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विवेचना अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक- 25.09.2022 को उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. लालचन्द्र राम पुत्र मंगल राम उम्र करीब 58 वर्ष, 2. धर्मेन्द्र राम पुत्र लालचन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष 3. रविन्द कुमार पुत्र श्रीलालचन्द्र राम उम्र करीब 22 निवासीगण ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम दौलताबाद से समय करीब 12.30 बजे हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग: 1 मु0अ0सं0 336/22 धारा 323/504/506/308/313/325/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. लालचन्द्र राम पुत्र मंगल राम
2. धर्मेन्द्र राम पुत्र लालचन्द्र
3. रविन्द कुमार पुत्र श्री लालचन्द्र राम निवासीगण ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 2.

थाना- बरदह

वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना-दिनांक 24.09.22 को वादी श्री धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मोहित सा0 मोइया मकदूमपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ की लिखित सूचना के आधार पर खुद की बहन सुमन 23 वर्ष को ससुराल वाले (विपक्षी) 1-प्रकाश पुत्र रामबली (पति) आदि 03 नफर निवासीगण ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना एवं घरेलू हिंसा कर जहर देकर मार दिया गया, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/22 धारा 498ए/304 बी भा0द0वि0 व ¼ डी0पी0 एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में –

दिनांक- 25.09.2022 को उ0नि0 सतीश यादव मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 01.प्रकाश कुमार पुत्र स्व0 रामबली सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2.गुड्डू गौतम पुत्र स्व0 रामबली सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम सोहौली से समय 11.15 बजे हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग- 1- मु0अ0सं0 327/22 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व ¼ डी0पी0 एक्ट

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1- प्रकाश कुमार पुत्र स्व0 रामबली सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 2.गुड्डू गौतम पुत्र स्व0 रामबली सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

श्री सतीश यादव (उ0नि0) कृष्ण चन्द्र (आरक्षी) सुविन्द्र गुप्ता (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त हरिशचन्द्र उर्फ हरिश अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना सिधारी में मु0अ0सं0 328/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा की जा रही थी, कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हरिशचन्द्र उर्फ हरिश पुत्र प्रहलाद यादव सा0 सोफीपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रूपया 25000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था जिसके क्रम में

उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित इनामिया अभियुक्त हरिशचन्द्र उर्फ हरिश पुत्र प्रहलाद यादव सा0 सोफीपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ किसी वारदात को कारित करने की फिराक में बनवारी मोड़ सिक्सलेन अण्डरपास ओवरब्रीज के पास खड़ा है, कि उक्त सूचना पर उ0नि0 मय टीम के बनवारी मोड़ सिक्सलेन अण्डरपास ओवरब्रीज के पास से अभियुक्त को अवैध तमंचा मय कारतूस के साथ समय प्रातः 07.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0- 305/2022 धारा- 3/25 A Act. थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बरामदगी –

1. एक अदद तमंचा .315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया गया कि सुनसान स्थान देखकर खड़ा था और इस फिराक में था कि किसी राहगीर को टारगेट करके बरामद तमंचा को दिखाकर उससे लूट / छिनैती का कार्य करता।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

हरिशचन्द्र उर्फ हरिश पुत्र प्रहलाद यादव सा0 सोफीपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 रामकृष्ण सिंह चौकी प्रभारी सठियांव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना रानी की सराय

लूट की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक- 24.09.2022 को निरीक्षक निशात जमा खाँ मय हमराह द्वारा कोईलारी बुजुर्ग से पहले पुराने भट्टे के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.संगम गुप्ता पुत्र स्व0 अजय गुप्ता निवासी स्टेशन रोड कस्बा व थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. किशन यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम अनौरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 3. शैलेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अदद तमंचा .32 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, दो अदद मोबाइल फोन (REDMI, VIVO) एर अदद मो0सा0 नं0 UP50BM0965 हीरो स्ट्रीम बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 310/2022 धारा 398/401 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 311/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तारी का स्थान – कोईलारी बुजुर्ग से पहले पुराने भट्टे के पास समय दिनांक 24.09.2022 समय 21.15 बजे

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 310/2022 धारा 398/401 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़ व अभि0 संगम गुप्ता उपरोक्त को

2. मु0अ0सं0 311/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 338/2022 धारा 392/411/398/401 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 339/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 334/2022 धारा 392 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 260/2022 भा0द0वि0 392 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0 272/2022 धारा 395/412/506 भा0द0वि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.संगम गुप्ता पुत्र स्व0 अजय गुप्ता निवासी स्टेशन रोड कस्बा व थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2. किशन यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम अनौरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

3. शैलेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा व दो कारतूस जिन्दा .32 बोर

दो अदद मोबाइल फोन(REDMI, VIVO) व एक अदद मो0सा0 न0 UP 50 BM 0965 हीरो स्ट्रीम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-1.निरीक्षक निशात जमा खाँ 2.कां0 रमेश कुमार 3. कां0 धीरज कुमार 4. कां0 संदीप कुमार 5.

कां0 रमेश कुमार समस्त थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।